**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), मौजमाबाद, जिला--जयपुर**
**पीठासीन अधिकारी : बलबीर सिहं, R.A.S.**
**प्रकरण : वाद**
**मुकदमा नम्बरः– 8/2025**

1. संतोष वर्मा पत्नी आनन्दी लाल, जाति बलाई निवासी 45 तेजाजी मंदिर के पास, मैन सोडाला, सांगानेर रोड के पास, जयपुर, राजस्थान

–प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार,तहसील कार्यालय मौजमाबाद, जिला दूदू।

–अप्रार्थीगण

**वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती**

उपस्थित : 1. श्री बलबीर सिहं, नीरज यादव अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थिति।

**: : आदेश : :** **दिनांक :–** 27.05.25

वादीया ने वाद बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती पेश कर निवेदन किया किया कि राजस्व ग्राम सूरपुरा तहसील मौजमाबाद के खाता संख्या 75 के आराजी ख0न0 873 रकबा 1.1300 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.1300 है0 जिसकी वादीरूा हिस्सा 82/113 की एकमात्र काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार हैं। वादीया ने उक्त जमीन इसके पूर्व खातेदार छोटुराम पुत्र नानगराम, जाति बलाई निवासी सूरपुरा तहसील मौजमाबाद जिला दूदू राज0 से जरिये रजिस्टर्ड विकय–पत्र दिनांक 20.11.2023 के द्वारा कय की है, जिसमें वरवक्त कय वादीया का सही नाम संतोष वर्मा पत्नी आनन्दी लाल दर्ज हैं जबकि विकय–पत्र के आधार पर जो नामन्तकरण दर्ज कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया उसमें सहवन से राजस्व कर्मियों द्वारा वादी का नाम में पत्नी की जगह पुत्र अंकित कर वादीया का नाम विकय–पत्र के अनुसार दर्ज नही कर गलत रूप से संतोष वर्मा पुत्र आनन्दीलाल दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है, जबकि वादीया का सही एव वास्तविक नाम संतोष वर्मा पत्नी आनन्दी लाल तथा इसी अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये। इस प्रकार उक्त त्रुटि जो हुई है, वह मात्र राजस्व कारकुनानों की गलती से हुई है, जो काबिले दुरूस्त किये जाने योग्य है वादी के समस्त दस्तावेजात यथा अधारकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान–पत्र आदि के अनुसार वादीया का सही एवं वास्तविक नाम संतोष वर्मा पत्नी आनन्दी लाल ही है, जिससे भी साबित है कि वादीया का सही एवं वास्तविक नाम संतोष वर्मा पत्नी आनन्दी लाल ही है, जिससे भी साबित है कि वादीया का सही एवं वास्तविक नाम संतोष वर्मा पुत्र आनन्दीलाल का किया गया है, वह सहवन से राजस्व कारकुनानों की गलती से किया गया हैं। अभी हाल ही में वादीया ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकल दिनांक 2.12.2024 को प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, इस पर वादीया ने तहसीलदार एवं पटवार हल्का को दुरूस्ती इन्द्राज हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार एवं पटवार हल्का ने दुरूस्ती इन्द्राज करने से इन्कार कर दिया, जिससे वादीया को उक्त वाद–पत्र विरूद्ध

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

प्रतिवादी बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। यह वादी का वाद कारण दिनांक 10.12.2024 को पटवारी एंव तहसीलदार द्वारा दुरूस्ती करने से इन्कार के कारण उत्पन्न हुआ है, जिससे वादी का वाद–पत्र अवधिकाल प्रस्तुत हैं। अतः श्रीमान वादीया का वाद स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे की वादग्रस्त आराजीयात में वादीया का नाम संतोष वर्मा पुत्र आनन्दीला को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर संतोष वर्मा पत्नी आनन्दीलाल दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विपक्षी सं. 1 की और पेरोकार राज उपस्थित।

प्रार्थी के प्रा0पत्र के सन्दर्भ में अधिवक्ता वादीया द्वारा साक्ष्य वादी में गवाह पेश नही कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया । अधिवक्ता वादीया की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीया द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजीयात में वादीया का दर्ज नाम संतोष वर्मा पुत्र आन्नदीलाल के स्थान संतोष वर्मा पत्नी आन्नदीलाल दर्ज किया जाने का निवदेन किया गया ।

हमने अधिवक्ता वादीया की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया । पत्रावली उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2023 की छाया प्रति के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त आराजीयात के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वादीया का नाम संतोष वर्मा धर्मपत्नि श्री आन्नदी लाल दर्ज है किन्तु विक्रय पत्र के आधार राजस्व रेकार्ड में दर्ज नामान्तकरण संख्या 983 दिनांक 02.01.2024 में वादीया का नाम सहवन से संतोष वर्मा पुत्र आन्नदी लाल दर्ज किया गया है जो विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2023 सही नहीं है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2023 की छाया प्रति के आधार के अनुसार वादीया का वाद स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है।

**—::आदेश::—**

वादीय के द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम सूरपुरा तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 75 के आराजी ख0न0 873 रकबा 1.1300 है0 में वादीया का दर्ज नाम संतोष वर्मा पुत्र आनन्दीलाल हिस्सा 82/113 के स्थान पर संतोष वर्मा पत्नी आनन्दी लाल हिस्सा 82/113 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार मौजमाबाद के नाम तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(बलबीर सिंह)
मौजमाबाद (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी ,मौजमाबाद
जिला जयपुर

उक्त आदेश आज दिनांक 27/05/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी ,मौजमाबाद
मौजमाबाद (जयपुर)
जिला जयपुर

# मूलवाद में डिकी

(आदेश–20 के नियम–6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) मौजमाबाद

बईजलास बलबीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादसंख्या – 08/2025

उनवान

1 संतोष वर्मा पत्नी आनन्दी लाल, जाति बलाई निवासी 45 तेजाजी मंदिर के पास, मैन सोडाला, सांगानेर रोड के पास, जयपुर, राजस्थान

– प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार,तहसील कार्यालय मौजमाबाद, जिला दूदू।

– प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा–88 एवं 136 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के लिए दावा वादी की ओर से श्री बलबीर सिंह एड0 एवं प्रतिवादीगण की ओर से पैराकार सरकार उपस्थित में इस वाद के आज तारीख 27.05.2025 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि दावा वादी डिकी किया जाकर वादीया के द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम सूरपुरा तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 75 के आराजी ख0न0 873 रकबा 1.1300 है0 में वादीया का दर्ज नाम संतोष वर्मा पुत्र आनन्दीलाल हिस्सा 82/113 के स्थान पर संतोष वर्मा पत्नी आनन्दी लाल हिस्सा 82/113 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। **ऐसी घोषणा की डिकी पारित की जाती है ।**

वादे के खर्चे न्यायाधीश

| वादी | रूपये | पैसे | प्रतिवादी | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प | 02 | 00 | 1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 00 | 00 |
| 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 02 | 00 | 2. अर्जी के लिए स्टाम्प | 00 | 00 |
| | | 00 | 7.प्लीडर की फीस | 00 | 00 |
| 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | 00 | 00 | 8.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | 00 | 00 |
| 4. रूपये पर लीडर की फीस | 00 | 00 | 9.आदेशिका की तामील | 00 | 00 |
| | | 00 | 10. मिश्नर की फीस | 00 | 00 |
| 5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | 00 | 00 | | | |
| | | 00 | | | |
| 6.कमिश्नर की फीस–तलवाना | 02 | | | | |
| 7. आदेशिका की तामील | 00 | | | | |
| 8. स्टाम्प | | | | 00 | 00 |
| योग | 06 | 00 | | | |

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद
जिला जयपुर